विज्ञापन संख्या–1/2014–15

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

विज्ञापन जारी होने की तिथि.....21 जनवरी, 2015

आयोग में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2015

भारत के नागरिकों से साक्षात्कार के माध्यम से सामान्य चयन के निम्नलिखित पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

पद क्रमांक	पद नाम	विभाग का नाम	वेतनमान	1 जुलाई 2015 को आयु (वर्षों में) न्यूनतम–अधिकतम	पदों की संख्या: अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
1	मास्टर डायर	आयुक्त, एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश	रू. 9300–34800 ग्रेड पे 4200/–	21–40	01	01	—	—	02
2	मास्टर वीवर	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	21–40	01	01	—	01	03
3	परीक्षक (वस्त्र) (गुण चिन्हांकन योजना)	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	21–40	01	01	—	01	03
4	अनुदेशक बुनाई व कताई	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	21–40	—	01	—	—	01
5	वस्त्र निरीक्षक	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	21–40	13	06	—	07	26
6	पावर लूम निरीक्षक	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	21–40	14	06	—	08	28
7	औद्योगिक पर्यवेक्षक/प्राविधिक पर्यवेक्षक	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 2400/–	21–40	14	05	01	12	32
8	पर्यवेक्षक एवं लेखाकार	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 1900/–	21–40	16	07	01	11	35
9	वीवर वस्त्र	तदैव	रू. 5200–20200 ग्रेड पे 1900/–	21–40	13	04	—	05	22

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त 10 प्रकार के पदों में से प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग चयन किया जाना है। अतः प्रत्येक पद के लिये अलग–अलग आवेदन करना है तथा अलग–अलग आवेदन शुल्क देय है।
2. साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या आयोग द्वारा संवीक्षा के उपरान्त निर्धारित की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश के लिये विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित पदों पर) आरक्षण देय है।
4. उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम् अधिनियमों/अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
5. रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

अर्हतायें :–

विभिन्न पदों हेतु उनके सम्मुख उल्लिखित अनिवार्य/अधिमानी अर्हता अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए–

पद क्रमांक	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता
1	मास्टर डायर	अनिवार्य अर्हता–वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। अधिमानी–संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव।
2	मास्टर वीवर	अनिवार्य अर्हता–वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। अधिमानी–संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव।
3	परीक्षक (वस्त्र) (गुण चिन्हांकन योजना)	अनिवार्य अर्हता–माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हथकरघा उद्योग में तीन वर्ष के अनुभव के साथ बुनाई में उच्च प्रमाण–पत्र होना चाहिए। या वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए।
4	अनुदेशक बुनाई व कताई	अनिवार्य अर्हता–डिजाइन प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए।
5	वस्त्र निरीक्षक	अनिवार्य अर्हता–1–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2– किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। 3– हथकरघा उद्योग के विकास में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6	पावर लूम निरीक्षक	अनिवार्य अर्हता–1–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2– किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। 3– हथकरघा उद्योग के विकास में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7	औद्योगिक पर्यवेक्षक/प्राविधिक पर्यवेक्षक	अनिवार्य अर्हता–1–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हथकरघा उद्योग में दो वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए।
8	पर्यवेक्षक एवं लेखाकार	अनिवार्य अर्हता–1–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। या वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए
9	वीवर वस्त्र	अनिवार्य अर्हता–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और बुनाई में दो वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बुनाई का दो वर्ष का प्रमाण–पत्र होना चाहिए या वस्त्र प्रौद्योगिकी या बुनाई प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता :– उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने –

1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु–

आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा न लिखा हो) एक जुलाई, 2015 है अर्थात अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2015 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी –

आयु की अधिकतम सीमा में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शासनादेश दिनांक 28–11–1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से विकलांग (फिजीकली हैण्डीकैप्ड) के अभ्यर्थियों के लिए आयु की अधिकतम सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2015 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।

आवेदन शुल्क – प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन शुल्क अलग–अलग देय है। आवेदित पद हेतु सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क रू0 80/–, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क रू0 40/– तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/महिला अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुरूप शुल्क रू0 80/– अथवा रू0 40/– देय है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शुल्क में छूट प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के निवासियों को उक्त आवेदन शुल्क सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उ0प्र0 में स्थित कोषागारों से ही ट्रेजरी चालान द्वारा लेखाशीर्षक– "0051–लोक सेवा आयोग, 105–राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क, 2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थियों से सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं आहरित रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, जो केवल लखनऊ में ही देय हो के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान करने वाले अभ्यर्थी ट्रेजरी चालान की एक प्रति मूलरूप में आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें तथा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क भुगतान करने वाले अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम व पता अवश्य लिखें। अन्य किसी श्रोत से अथवा लखनऊ के अतिरिक्त किसी अन्य शहर में देय बैंक ड्राफ्ट से देय फीस स्वीकार नहीं की जायेगी तथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। एक बार जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

आवेदन कैसे करें – आवेदन पत्र इस विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित प्रारूप में, ए–4 साइज के मोटे फुलस्केप कागज पर टंकित कराकर अथवा स्वच्छ हस्तलिखित रूप में निर्धारित प्रारूप पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा "सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन (तृतीय तल), विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010 के नाम भेजें। साधारण डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम व क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें। यथा

विज्ञापन संख्या.....................आवेदित पद का नाम.....................आवेदित पद का क्रमांक ....

आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

1. निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु ट्रेजरी चालान की मूलप्रति/उत्तर प्रदेश के बाहर वाले अभ्यर्थियों द्वारा केवल लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट।
2. हाल ही के पासपोर्ट आकार की दो फोटो (कैमरे के अभिमुख वक्ष तक) जिस पर अभ्यर्थी अपना पठनीय हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित करें –

अ– एक फोटो आवेदन पत्र के शीर्ष पर बनाये गये बाक्स में चिपकाई जाय।

ब– दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।

3– एक अपना पता लिखा हुआ रु. 6.00 का डाक टिकट लगा हुआ पोस्टकार्ड (पोस्टकार्ड के ऊपर विज्ञापन संख्या पद क्रमांक तथा पद का नाम अवश्य लिखें) तथा अपना पता लिखा 27×13 से.मी. आकार के रु. 5.00–5.00 के टिकट लगे दो लिफाफे।

4– उ.प्र. के अनुसूचित जाति या उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के दावे के पक्ष में उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 484/का–1/94–1994 दिनांक 29–03–1994 में निर्धारित, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के दावें के पक्ष में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 22/16/92–का–2–96/टी.सी. दिनांक 08–12–1995 के अनुक्रम में जारी समसंख्यक शासनादेश दिनांक–17–12–2014 में निर्धारित, उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने के दावे के पक्ष में उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 6/2/1972–कार्मिक–2 दिनांक 15–01–1983 तथा वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी होने के पक्ष में उ.प्र. शासन के शासनादेश सं. 22/2/1983–का–2 दिनांक 28–11–1985 के साथ पठित शासनादेश संख्या बी–52/2–4–75–नियुक्ति–4 दिनांक 11–02–1975 के अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

5– शारीरिक रूप से विकलांग (फिजिकली हैण्डीकैप्ड) अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 के साथ संलग्न प्रारूप–1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक होने के दावे के पक्ष में उ.प्र. शासन के क्रमशः शासनादेश संख्या–7/4/1971–का–2 दिनांक 20 मई, 1978 तथा शासनादेश संख्या 17/1/82–का–2 दिनांक 13–11–1990 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

6– आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेन्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र।

7– पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं वरीयान अर्हता की पुष्टि हेतु संबंधित परीक्षा की अंकतालिका, डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हता का प्रमाण–पत्र (किसी भी दशा में मूल प्रमाण पत्र न भेजे जायें)। ऐसे आवेदक जिन्होंने पद हेतु विहित अनिवार्य/वरीयान अर्हता से संबंधित डिप्लोमा अथवा अपनी स्नातक, परास्नातक या ऐसी कोई अन्य परीक्षा किसी ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्था से उत्तीर्ण किया हो जहाँ पर ग्रेडिंग अथवा औसत ग्रेड प्वाइंट पद्धति लागू हो, को सबन्धित विश्वविद्यालय या संस्था का कन्वर्जन फार्मूला जो कि उस विश्वविद्यालय अथवा संस्था के कुलसचिव, अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो प्राप्तांक प्रतिशत की गणना हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

8– अनुभव यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियाँ

नोट– 1– यदि आवेदन पत्र आयोग के निर्धारित प्रारूप पर नहीं है/अधूरा है अथवा आवेदन पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान (घोषणा पत्र) पर अयर्थी के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तो आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जायेगा।

2– यदि उपर्युत दस्तावेज व प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किये जाते हैं तो आवेदन पत्र सरसरी परीक्षण के उपरान्त निरस्त कर दिया जायेगा और उसके पुनर्जीवन के लिए कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

(1) महत्वपूर्ण अनुदेश

1. पदों के लिये हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है। अभ्यर्थी को पद हेतु अपेक्षित अर्हतायें आयोग में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

2– किसी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जायेगा।

3– प्रत्येक आवेदित पद के लिये अलग–अलग आवेदन पत्र शुल्क देने है एक आवेदन पत्र पर एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कये जाने की स्थिति में केवल प्रथम पद पर ही चयन हेतु विचार किया जायेगा।

4– मूल प्रमाण–पत्र केवल साक्षात्कार के समय अथवा माँगे जाने पर आवश्यक है।

5– केवल जन्म या अधिवास से ही भारतीय नागरिक परीक्षा देने के पात्र होंगे। जो अभ्यर्थी अधिवास से भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं उन्हें पात्रता का प्रमाणपत्र जिलाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आयोग को माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

6– उ.प्र. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अथवा समाज के विकलांग व्यति, भूतपूर्व सैनिक या वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी होने के दावे के पक्ष में अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण–पत्र को उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तथा इस हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार न होगा तद्नुसारः–

(अ) ऐसे अभ्यर्थी जो उ.प्र. के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र उ.प्र. शासन के शासनादेश दिनांक 29–03–1993 में निर्धारित प्रारूप पर है तथा वह उ.प्र. के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यति के पुत्र या पुत्री है तथा वह तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतया उ.प्र. में निवास करता है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र जिसमें उसके उ.प्र. के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

ब– ऐसे अभ्यर्थी जो उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग का होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाणपत्र उ.प्र. शासन की अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2–96 दिनांक 08–12–1995 के अनुक्रम में जारी समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17–12–2014 के संलग्नक के रूप में उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 के अधीन नये प्रारूप पर, जिससे उसके क्रिमीलेयर में न होने की पुष्टि होती है तथा यह कि वह उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यति के पुत्र या पुत्री हैं तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्तया उ.प्र. में निवास करता है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र जिसमें उसके उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

स– ऐसे अभ्यर्थी जो उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 6/2/1972–कार्मिक–2, दिनांक 15–01–1983 में निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उ.प्र. के अधिवासी हैं या थे तथा अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का (i) पुत्र या पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (ii) पौत्र (अर्थात् पुत्र का पुत्र) बाहर या पौत्री (पुत्र की पुत्री) – विवाहित या अविवाहित।

द– ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 में निर्धारित प्रारूप–1 पर हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

7– जो अयर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने सेवायोजन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर साक्षात्कार के समय अथवा माँगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है परन्तु इस आधार पर विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जायेगा।

8– ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित है तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जायेंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति न प्रदान कर दी गयी हो।

9– आवेदन पत्र देर से प्राप्त होने अथवा डाक द्वारा पत्राचार में गुम होने का दायित्व आयोग का न होगा।

10– निर्धारित अनिवार्य योग्यता न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के लिए हकदार नहीं हो जाते यदि किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या सम्भव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक अभिलेख, प्राप्तांक प्रतिशत और अनुभव से उच्च योग्यताओं अथवा प्राप्तांक प्रतिशत अथवा अनुभव के आधार पर अथवा एक प्राक्चयन परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अयर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

11– अभ्यर्थियों के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12– एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

13– चयनित महिलाओं, उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

14– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांगता से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

15– एक लिफाफे में एक से अधिक पदों तथा एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

16– आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और इस संबंध में कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

17– निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

18– आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण अपठनीय, अस्पष्ट, भ्रामक, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण होने पर या घोषणा पत्र पर अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन–पत्र आयोग कार्यालय में स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि व समय दिनांक 16 फरवरी, 2015 के सांय 5.00 बजे तक है।

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
लखनऊ

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
आवेदन–पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या–1/2014–15

कन्ट्रोल संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐

आवेदक की श्रेणी	राज्य का नाम जिसका आवेदक मूल निवासी है	आवेदित पद का नाम	आवेदित पद क्रमांक

(वक्ष तक स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें)

1. अभ्यर्थी नाम
   (क) हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) ....
   (ख) अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि
   (अ) जैसा हाई स्कूल, हायर सेकेंड्री अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में है। तिथि माह वर्ष ☐☐☐☐☐☐☐☐
   (ब) 01 जुलाई 2015 को आयु तिथि माह वर्ष ☐☐☐☐☐☐☐☐
4. पता
   (अ) पत्राचार का पता (हिन्दी/अंग्रेजी में) (ब) स्थायी पता (हिन्दी/अंग्रेजी में)
5. वैवाहिक प्रास्थिति : (लिखे विवाहित/अविवाहित) ....
6. राष्ट्रीयता ....
7. क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं? (लिखे हां/नहीं) ....
   यदि हाँ तो लिखें उत्तर प्रदेश राज्य में निवास की अवधि ....
8. (अ) क्या आप आरक्षित श्रेणी के आवेदक है, कोष्ठक में लिखें हां/नहीं ☐
   यदि हां तो दाहिनी ओर दिये गये कोड 1, 2, 3 में जिससे आप संबंधित हों कोष्ठक में लिखे
   आरक्षित श्रेणी/कोड ☐☐
   (ब) यदि आप स्व.सं. सेनानी के आश्रित, भू.पू. सैनिक शारीरिक रूप से विकलांग अथवा महिला अभ्यर्थी की श्रेणी में आते है तो दाहिनी ओर दिये गये कोड, 4, 5, 6, 7 में से जिससे आप संबंधित है कोष्ठक में
   कोड ☐
   कोड भरे। यदि इनमें से आप संबंधित नहीं है तो क्रास (x) का निशान अंकित करें।

आरक्षित श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	1
अनुसूचित जन जाति	2
अन्य पिछड़ा वर्ग	3
स्वतंत्रता संग्राम सेना के आश्रित	4
भूतपूर्व सैनिक	5
	6
महिला अभ्यर्थी	7

1. अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होने पर लिखें कोड – 8
2. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होने पर लिखे कोड – 9
3. राज्य स्तरीय खिलाड़ी होने पर लिखे कोड – 10
4. विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाडी होने पर लिखे कोड – 11

टिप्पणी–प्रस्तर (अ), (ब) के पक्ष में अपने प्रमाण–पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

9. (अ) शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण –

परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा विषय	उत्तीर्ण श्रेणी	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत

टिप्पणी – उपर्युक्त अर्हताओं तथा आयु के प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करें।

(ब) शिक्षणेत्तर योग्यता : (1) क्या प्रादेशिक सेना दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की है? कोष्ठक में लिखे हां या नहीं – ☐
(2) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है? कोष्ठक में लिखे 'बी' ☐

10 (अ) क्या आप राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, उपक्रम या निगम में कार्यरत थे/हैं? (कोष्ठक में लिखें हां/नहीं) ☐

(ब) यदि हां तो कार्य अनुभव का विवरण निम्नलिखित तालिका में दें तथा प्रमाण पत्र/पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

क्रम संख्या	सेवायोजन का नाम तथा पता	पदनाम	कार्यावधि: कब से	कब तक	कुल अवधि	कार्य विवरण

11. परीक्षा शुल्क का विवरण– (ट्रेजरी चालान की मूल प्रति/बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें)

आवेदित पद नाम	शुल्क भुगतान का माध्यम ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट	ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट नम्बर व दिनांक	ट्रेजरी चालान/बैंक का नाम स्थान जिला सहित	धनराशि रूपयों में

12. क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा कारावास या कोई दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया है? कोष्ठक में लिखें हां/नहीं ☐

घोषणा–पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मैं विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ ली है तथा वे मुझे मान्य है और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ।
2. इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य/विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैंने इन सभी तथ्यों/विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई तथ्य/विवरण/सूचना असत्य तथा गलत पायी जाय अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाय तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्त हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायं।
3. मैने अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए लिखित अनुरोध कर दिया है कि मै इस चयन के लिए आवेदन–पत्र भेज रहा हूँ।

संलग्नकों की संख्या

1. अंको एवं शब्दों में
2. विवरण
3. तारीख
4. स्थान

अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर दिनांक सहित
(हस्ताक्षर पठनीय न होने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा)

UP-93125 दि. 21.01.2015, विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।